रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20052025-263236
CG-DL-E-20052025-263236

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278] नई दिल्ली, सोमवार, मई 19, 2025/वैशाख 29, 1947
No. 278] NEW DELHI, MONDAY, MAY 19, 2025/VAISAKHA 29, 1947

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2025

सा.का.नि. 321(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग, उप आयुक्त (आहार और चारा) समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2024 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग में उप आयुक्त (आहार और चारा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग, उप आयुक्त (आहार और चारा) समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2025 है।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**
(1)	(2)	(3)	(4)
उप आयुक्त (आहार और चारा)	1* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रू)

चयन या अचयन पद।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।**
(5)	(6)	(7)
चयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय पुष्टि समिति है तो उसकी संरचना।**
(11)	(12)
प्रोन्नति: क्षेत्रीय चारा केंद्रों में निदेशक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रुपये) ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविहित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्था से चारा विकास, बीज उत्पादन और बीज गुणवत्ता में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके लिए ज्येष्ठ व्यक्तिओं के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई किसी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या क़ानूनी संगठनों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी, - (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर __ पद धारण किया हो; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर -11 (67700-208700 रुपये) में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में प्रदान की गई पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो, अर्थात:- आवश्यक:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि में डिग्री; (ii) सस्यविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; और (iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या क़ानूनी संगठनों या स्वायत्त निकायों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन चारा उत्पादन, घास और चरागाह के साथ संबद्ध फार्म में चारा फार्मिंग या अनुसंधान विस्तार कार्य की योजना और संगठन में पांच वर्ष का अनुभव। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग में ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार के लिए पात्र नहीं होंगे।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - (i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष; (ii) सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग - सदस्य; (iii) पशुपालन आयुक्त, पशुपालन और डेयरी विभाग – सदस्य |

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी |	

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(13)
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/3/2017-प्रशा-1]

डॉ. अभिजीत मित्रा, पशुपालन आयुक्त

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2025

G.S.R. 321(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying, Deputy Commissioner (Feed and Fodder) Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2024, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Commissioner (Feed and Fodder) in the Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, namely: -

1. Short title and commencement. –(1) These rules may be called the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying, Deputy Commissioner (Feed and Fodder) Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. Disqualification. – No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-Servicemen

and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Deputy Commissioner (Feed and Fodder).	1* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-12 (Rs. 78800-209200) in the pay matrix.

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Selection post.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	100 per cent. by Promotion failing which by deputation (including short term contract)

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what its composition.
(11)	(12)
Promotion: Director in Regional Fodder Stations in level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training in the fodder development, seed production and seed quality from a recognised institute or from an institution of Indian Council of Agricultural Research as prescribed by the competent authority. Note-1.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short term contract): Officers under the Central Government or State Government or Union territory administrations or statutory organisations or autonomous bodies or public sector undertakings or recognised universities or recognised research institutes,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- Essential:- (i) Degree in Agriculture from a recognised university or institute; (ii) Post graduate degree in Agronomy; and (ii) five years experience in planning and organisation of fodder farming or research extension on a farm connected with fodder production, grasses and pastures under the Central Government or State Government or Union territory	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (i) Chairman or Member, Union Public Service Commission-Chairperson; (ii) Secretary, Department of Animal Husbandry and Dairying - Member; (iii) Animal Husbandry Commissioner, Department of Animal Husbandry and Dairying – Member.

administrations or statutory organisations or autonomous bodies or public sector undertakings or recognised universities or recognised research institutes. Note-2.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note-3.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note-4.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.	

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)
Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F.No. A-12018/3/2017-Admin-1]

Dr. ABHIJIT MITRA, Animal Husbandry Commissioner

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.05.20 16:30:57 +05'30'